

अधिसूचना

दिनांक 13-1-95

वन० 1976/एस०ई०सी०/-ई111/95

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 161 की उपधारा (4) का अनुसरण करते हुए, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम जो सदस्य जिला परिषद फरीदाबाद जिला फरीदाबाद के सदस्य चुने गये हैं, अधिसूचित किये जाते हैं:-

क्रमांक	वार्ड न०	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	वर्ग/सा०/आरक्षित
1.	2.	3.	4.
1	1	श्री राम बीर पुत्र नाथी	सा०सा०
2	2	श्री राम अवतार सिंह पुत्र ऐदल सिंह	सा०
3	3	श्री रामशरण पुत्र मोहर सिंह	अ०ज०
4	4	श्रीमति विजय लक्ष्मी पतनी दयालसरन	सा०
5	5	श्री रघबीर सिंह पुत्र बूच्चा राम	सा०
6	6	श्रीमति दयाबती पत्नी अमर सिंह	सा०
7	7	श्री जलेब सिंह खा पुत्र सुलेमान खां	सा०
8	8	श्रीमति कृष्णा पत्नी चन्दर	सा०
9	9	श्रीमति दर्शना देवी पत्नी विनोद	अनू०जा०
10	10	श्री दिनेश पुत्र ब्रह्म सिंह	सा०
11	11	श्री परत राम पुत्र शाम लाल	जन०ज०
12	12	श्रीमति गम्भीरी पत्नी बिशन सिंह	सा०
13	13	श्री रूपचन्द पुत्र रतन किशोर	सा०
14	14	श्री नानक चन्द पुत्र रामसरूप	जन०ज०
15	15	श्रीमति बीरबति पत्नी इन्द्रपाल	सा०
16	16	श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रती राम	सा०
17	17	श्री जसबीर सिंह पुत्र राधे	सा०
18	18	श्री टेकचन्द पुत्र मोनी उर्फ मोहन लाल	सा०

माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सिविल याचिका संख्या 1740 आफ 1994 में दिनांक 21.12.94 को पारित आदेशों के अनुसार उपरोक्त परिणाम इस याचिका के परिणाम पर आधारित होंगे।

जे. के. दुग्गल
राज्य निर्वाचन आयोग
हरियाणा, चण्डीगढ़

21-12-94